जिला महिला सहायता समिति –

राज्य में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के उपरान्त भी महिलाओं की स्थिति में परिवार स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है एवं महिला उत्पीडन एवं शोषण के प्रकरणों में कमी नहीं आ रही है। ऐसा देखने में आया है कि मुख्य रूप से समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति विचारधारा ही महिलाओं के उत्पीडन एवं हिंसा का मुख्य कारण है। इस हेतु कुछ प्रकरणों में, विशेष रूप से पारिवारिक प्रकरणों में उचित मार्गदर्शन और आपसी सहयोग से सुलझाये जाने के प्रयास किये जा रहे है। ऐसी शोषित एवं उत्पीडित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्ग–दर्शन प्रदान करने एवं शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई कराने के उद्वेश्य से समस्त जिलों में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला सहायता समिति गठित है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2 कानूनी सलाहकार, प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि सदस्य है। कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग इसके सदस्य सचिव है।

यह समिति निम्न विषयों पर महिलाओं को राहत एवं सहायता उपलब्ध करवा सकती हैः–

i. उत्पीड़ित, निराश्रित महिलाओ को तात्कालिक आश्रय एवं विधिक सहायता प्रदान करना। तात्कालिक सहायता समाज कल्याण विभाग के महिला सदन अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित संस्था के पास जो ऐसी व्यवस्था करने में सक्षम हो, द्वारा प्रदान की जाती है।
ii. समस्या विशेष के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करना।
iii. उत्पीड़न /शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर आवश्यक विधिक एवं समझाईश।

इस समिति को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के कार्य तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की क्रियान्विति के प्रबोधन का दायित्व भी सौंपा गया है। यह एक स्थायी समिति है, जिसकी बैठक 3 माह में एक बार आयोजित की जाती है अथवा जैसा अध्यक्ष आवश्यक समझे, आयोजित की जाती है। जिला महिला सहायता समितियों को सशक्त बनाने हेतु इन समितियों में जिले के जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजिक कार्यकर्ता आदि की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने हेतु जिला कलैक्टर्स को अधिकृत किया गया है।

i. व्यथित महिला को आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता हेतु प्रत्येक जिले में महिला कोष भी स्थापित किया गया है। कोष के अन्तर्गत दानदाताओं का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु 80 जी के तहत छूट का प्रावधान भी किया गया है।
ii. पीडित महिलाओं को परामर्श सेवाएँ एवं विधिक सहायता भी जिला महिला सहायता समिति द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।